भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3957
जिसका उत्तर बुधवार, 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

वाणिज्य न्यायालय

3957. डॉ. सुभाष रामराव भामरे :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. :
श्री कुलदीप राय शर्मा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने देश में वाणिज्यिक विवादों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित अन्य मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाणिज्यिक विवाद कथित और समयबद्ध तरीके से नहीं निपटाए जाते हैं जिससे व्यापार को सुगम बनाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश की विभिन्न अदालतों में लंबित वाणिज्यिक विवादों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं कि व्यापार करना सरल बनाने के लिए वाणिज्यिक विवादों का समयबद्ध तरीके से निपटान हो ; और (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : जी, हां । वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा यथा संशोधित वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न), वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर पर), वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर पर), वाणिज्यिक प्रभाग (उच्च न्यायालय स्तर पर) और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (उच्च न्यायालय स्तर पर) स्थापित करने का उपबंध करता है । जहां तक विश्व बैंक के भारत में कारबार करने में आसानी के मानदंड पर संबंध है, चिन्हित शहरों में वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने की प्रास्थिति निम्न प्रकार है :

(i) दिल्ली– 22 विशेष रूप से बनाए गए वाणिज्यिक न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं और 21 वाणिज्यिक न्यायालय कार्यशील हैं।

(ii) मुम्बई – 4 विशेष रूप से बनाए गए वाणिज्यिक न्यायालय।

(iii) बंगलूरू – 2 विशेष रूप से बनाए गए वाणिज्यिक न्यायालय।

(iv) कोलकाता – 2 विशेष रूप से बनाए गए वाणिज्यिक न्यायालय।

विश्व बैंक की कारबार करने की रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, किसी वाणिज्यिक विवाद के समाधान में लगने वाला समय 1445 दिवस है। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और बंगलूरू द्वारा वाणिज्यिक विवादों के समाधान में लगने वाले समय में कटौती करना किए गए सुधारों का उद्देश्य है।

(ग) : जानकारी संग्रहित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) : सरकार ने वाणिज्यिक मामलों के निष्पक्ष रूप से और त्वरित तथा वादकारियों को उचित लागत पर समाधान सुनिश्चित करने के अपने प्रयत्न में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया है और अधिनियम 2018 का और संशोधन किया गया था जो किसी वाणिज्यिक विवाद के विनिर्दिष्ट मूल्य को 1.00 करोड़ रुपए से घटाकर 3.00 लाख रुपए द्वारा वाणिज्यिक विवादों की त्वरित ट्रैकिंग को सुकर बनाता है और जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता के भीतर आता है। उन मामलों में जहां किसी अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष की अपेक्षा नहीं की गई है, वहाँ "संस्थित करने से पहले मध्यकता और समझौता" (पीआईएमएस) (एक अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र) अनिवार्य होने के उपबंध द्वारा न्यायालय से बाहर समझौते और न्यायालयों के कार्यभार को कम करने को सुकर बनाने हेतु संशोधित अधिनियम पुरःस्थापित किया गया है। सरकार के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप विश्व बैंक रिपोर्ट में कारबार करने पर भारत की रैंक में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, न्याय परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन ने बकाया मामला समापन और न्यायिक प्रशासन में लंबन को दूर करने हेतु चरणबद्ध समन्वित पद्धति अपनायी है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसमें कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका में पद संख्या में बढ़ोतरी, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति संबंधी तथा विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः-इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर बल देना भी है, अंतर्वलित है।

****